मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110] भोपाल, सोमवार, दि० 17 मार्च 2008—फाल्गुन 27, शक 1929

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2008

क्र. एफ-11-37 05 एक-9.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 5 में—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द "तीन दिवस" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह कार्य दिवस" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किये जाएं; अर्थात्:—

"(5) गरीबी रेखा के नीचे के आवेदक द्वारा इस अधिनियम के अधीन चाही गई सूचना निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात् :—

(एक) यदि चाही गई सूचना से आवेदक का सीधा संबंध है, तब सूचना ऐसे प्ररूप में, जिसमें वह मांगी गई है, उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते सूचना उस प्ररूप में उपलब्ध हो, तथा प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा के लिये अहितकर न हो सकेगी;

(दो) यदि चाही गई सूचना से आवेदक का सीधा संबंध नहीं है, किन्तु सूचना पचास पृष्ठों (ए-4 साइज के) तक होगी है, तब चाही गई सूचना की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराई जाएँगी बशर्ते की वह प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा के लिए अहितकर न हो,

(तीन) यदि चाही गई सूचना से आवेदक का सीधा संबंध नहीं है तथा सूचना पचास पृष्ठों (ए-4 साइज के) से अधिक की है, तब अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, आवेदक से कार्यालय में अभिलेख नस्ती का निरीक्षण करने के लिए कहा जायेगा तथा सूचना को सीमित करने के लिए अनुरोध किया जायेगा.

(6) यदि आवेदक, विभागों द्वारा प्रकाशित की गई मुद्रित रिपोर्ट तथा अन्य सामग्री चाहता है, तो वह ऐसे प्रकाशनों के लिए नियत कीमत पर उपलब्ध कराई जा सकेगी. नियम 5 के उपनियम (1) में नियत की गई दरों के अनुसार ऐसे प्रकाशनों से उद्धरण उपलब्ध कराये जा सकेंगे.

(7) यदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदक ऐसी सूचना मांगता है, जहां किसी अन्य अधिनियम/नियम में ऐसी सूचना के लिए पृथक् फीस का उपबंध है, वहां आवेदक को तत्स्थानी अधिनियम/नियम के अधीन यथा उपबंधित ऐसी फीस का भुगतान करना होगा.''

2. नियम, 7 के उपनियम (2) में, शब्द ''सक्षम अधिकारी'' के स्थान पर, शब्द ''लोक सूचना अधिकारी'' स्थापित किए जाएं.

3. नियम 8 में,—

(एक) उपनियम (3) में शब्द ''30 दिवस'' के स्थान पर, शब्द ''एक सौ अस्सी दिवस'' स्थापित किए जाएं.

(दो) उप नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(6) शास्ति की रकम की वसूली हेतु प्रक्रिया.

(एक) राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी किए गए शास्ति के आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर अधिरोपित शास्ति नकद या बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के रूप में राज्य सूचना आयोग के पास जमा करेगा.

(दो) राज्य सूचना आयोग को शास्ति की वसूली के लिए धारा 18 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो कि सिविल न्यायालय में निहित हैं. सूचना आयोग, शास्ति की वसूली के लिए पृथक् मामला रजिस्ट्रीकृत करके इस शक्ति के अधीन कार्यवाही आरंभ करेगा;

(तीन) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी विहित समय-सीमा के भीतर अधिरोपित शास्ति की रकम जमा करने में असफल रहता है तो राज्य सूचना आयोग संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को, राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए तथा अधिरोपित शास्ति की रकम की वसूली के लिए रिपोर्ट करेगा. ऐसे मामलों में राज्य सूचना आयोग का आदेश संबंधित अधिकारी पर आबद्धकारी होगा.

(चार) यदि अधिरोपित शास्ति की रकम राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के वेतन से वसूल नहीं की जाती है तो उसे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर उससे वसूल किया जायेगा.''

4. नियम 3 के उपनियम (1) तथा (2), नियम 4, नियम 6 के उपनियम (1), (2), (3) तथा (4) तथा नियम 7 के उपनियम (1) और नियम 8 के उपनियम (2) में, शब्द ''नान-ज्युडिशियल स्टाम्प'' के पश्चात् शब्द ''खजाना चालान की मूलप्रति'' अंतःस्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. डी. अग्रवाल, सचिव.